Comml-9

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक/जोविविनिलि/अअ(सर्वे एवं जांच)/प.1201 /प्रे. 203 जयपुर,दिनांक 13 NOV 200

आदेश

विषय:- कृषि कनेक्शन को उसी गांव या साथ वाले गांव में स्थानान्तरित करने के क्रम में ।

यदि कृषि कनेक्शन हो जाने पर परिस्थितियों के दवाब के कारण कृषि कनेक्शन उसी जगह रखना उपभोक्ता के वश में न हो तो मण्डल के आदेश संख्या राराविमं/मुअ (ग्रावि.निरी.भावि)/ प्रे.51 दिनांक 22.6.2000 (आरईए-207) के पैरा 18 (स) के अनुसार कृषि कनेक्शन उसी गांव या साथ वाले गांव में स्थानान्तरित किए जाने के लिए एक मुश्त रूपये 1000/- प्रति हॉर्स पावर (कम से कम रूपये 5000/-) लिये जाने का प्रावधान है ।

इस सम्बन्ध में विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया है कि अब साधारण श्रेणी के कृषि कनेक्शन उसी ग्राम या साथ वाले ग्राम में स्थानान्तरित करने के लिये पूर्व के आदेश संख्या राराविमं/ मुअ(ग्रावि.निरी.भावि)/अनु.9/प्रे. 198 जयपुर दिनांक 2.8.1996 के पैरा 21 (ब) के अनुसार 11 के.वी./एल.टी.लाईन के विस्तार एवं 11/0.4 के.वी. सब स्टेशन स्थापित करने के समस्त खर्चे ही उपभोक्ता को वहन करने होंगे जो कि निम्न प्रकार है:-

1. कनेक्शन के स्थान परिवर्तन के लिये जितनी पुरानी एच.टी./एल.टी. लाईन के पोल नई जगह काम आ सकेंगे उनके लिये और एक तिहाई की दर से चार्ज किये जायेंगे । वर्तमान में एक पोल (एच.टी./एल.टी.लाईन) की 90 मीटर स्पान की कीमत रूपये 11,000 है । नई जगह पर अतिरिक्त लाईन का खर्चा रूपये 125/- मीटर लिया जायेगा ।

2. कनेक्शन स्थान परिवर्तन के लिये नये 11/0.4 के.वी. सब स्टेशन स्थापित करने की कीमत निम्नलिखित ली जावेगी ।

अ.	25 के.वी.ए.	रूपये 68,000
ब.	40 के.वी.ए.	रूपये 99,000

यदि उपभोक्ता के चालू कनेक्शन 11/0.4 के.वी. सब स्टेशन पर कोई किसी भी श्रेणी का कृषि कनेक्शन नहीं है तो उक्त सब स्टेशन को नई जगह स्थानान्तरित करने के रूपये 15,000/- चार्ज कियें जायेंगे ।

3. यदि 11 के.वी. लाईन वी.आर. 8 प्रतिशत से अधिक है तो कृषि कनेक्शन स्थानान्तरित नहीं किया जावेगा । कनेक्शन स्थानान्तरित करने के लिये आदेश दिनांक 22.6.2000 (आरईए-207) के पैरा 18(स) की अन्य शर्ते यथावत रहेंगी ।

उपरोक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे ।

13/11

(एच.डी.चारण)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

C:\HINDI\RF.doc